न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2026/79

01. इन्द्राज पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई निवासी 3 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट .
निर्णय दिनांक :–16.04.26

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल, श्री सीताराम तेतरवाल द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 5 केएलडी (सीएडी) तहसील खाजूवाला के खाता सं0 6 मु0नं0 236/38 के किला नं0 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल तादादी 1.8968 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम से वाके चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है0 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्राज की जगह इन्द्रराज दर्ज कर दिया गया व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0. 1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 बनाते समय लिपिकिय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त रकबा पर प्रार्थी का कब्जा लगातार आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है इस प्रकार उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के उपरोक्त रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता संख्या 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्दद्राज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. तादादी 0.6323 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम का रकबा चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्रराज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. 0.1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फूसाराम अंकन करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, बैयनामा, पैन कार्ड, पहचान पत्र, नामान्तकरण सं. 2 की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तरण की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा व नामान्तकरण इत्यादि की प्रति में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 केएलडी सीएडी तहसील खाजूवाला के खाता सं. 6 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक में 0.2529 है. तादादी 1.2645 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में प्रार्थी का नाम इन्द्रराज की जगह इन्द्राज व खाता संख्या 66 का मु.नं. 236/38 के किला नं. 11 व 12 प्रत्येक में 0.2529 है., 13/1 में 0.1265 है. 0.1265 है. तादादी 0.6323 है. कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम की जगह इन्द्राज पुत्र फूसाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त का आदेश किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी पत्नी फूसाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम इन्द्रराज व इन्द्राज पुत्र तुलछी देवी पत्नी फूसाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)